<u>Extract of letter dated 05 July, 2025, Dept. of Medical Edu., Govt. of Uttar Pradesh</u>

(Tuition Fee for MBBS Batch 2024 of School of Medical Sciences & Research (SMS&R)

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 40 /71-4-2025
लखनऊः दिनांक 05 जुलाई, 2025.

रिट याचिका सी संख्या-10329/2024 जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उससे सहबद्ध रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 10.01.2025 तथा दिनांक 04.03.2025 के अनुपालन में एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शुल्क निर्धारण विषयक विज्ञप्ति संख्या-39/71-4-2025, दिनांक 05 जुलाई, 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र 0शासन।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
8- निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराकर कराकर 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ</u>

संख्याः एम0ई0–3/2025/1453 लखनऊःदिनांक 07 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़/सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़/स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय)/नोयडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्धनगर/हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, साइंसेज, वाराणसी/यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज/मेयों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी/टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ/नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर/कान्ती देवी मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा/कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा/रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर/रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़/नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सम्भल/अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल, शामली/केएमसी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महराजगंज/श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गोरखपुर/बी0एस0 कुशवाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 05.07.2025 को अपने मेडिकल कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 05.07.2025 को वेबसाइट www.upneet.gov.in पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(आलोक कुमार)
अपर निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 39 /71-4-2025
लखनऊ::दिनांक 05 जुलाई, 2025

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 की धारा-3(1) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-I/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

2- शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासन की विज्ञप्ति संख्या-I/689993/2024, दिनांक 11.07.2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सी संख्या-6828/2024 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल एण्ड एलाईड सांइस कालेज, वेलफेयर एसोसिएशन व 17 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2024 के अनुपालन में शासन की विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2024 द्वारा पूर्व निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 11.07.2024 को अवक्रमित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के मेडिकल / डेन्टल कालेजों का शुल्क निर्धारित किया गया था।

3- शासन के उक्त विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सी संख्या-10329/2024 जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उससे सहबद्ध रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 10.01.2025 तथा दिनांक 04.03.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत रिट याचिका के याचिकाकर्ता की शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तथा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु समस्त मेडिकल कालेजों की एम0बी0बी0एस0/ एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण के संबंध में फीस नियमन समिति की बैठकें क्रमशः दिनांक 04.02.2025, 04.03.2025, 12.03.2025, 25 व 26.03.2025, 16.06.2025 तथा 20.06.2025 को सम्पन्न हुई। दिनांक 25 व 26 मार्च, 2025 को सम्पन्न फीस नियमन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 10(2) में विहित व्यवस्था के अंतर्गत समस्त मेडिकल कालेजों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी सुनवाई की गयी।

4- समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.01.2025 सपठित आदेश दिनांक 04.03.2025 के अनुपालन में याचिकाकर्ता (13 मेडिकल कालेजों) की शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत फीस निर्धारित किये जाने के लिए प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर प्रश्नगत मेडिकल कालेजों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु एम0बी0बी0एस0 / एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों के निर्धारित शुल्क (संलग्नक-1 व 2 के अनुसार) को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10.01.2025 सपठित आदेश दिनांक 04.03.2025 के अनुपालन में जिन मेडिकल कालेजों की निर्धारित फीस में वृद्धि हुई है, ऐसे अतिरिक्त शुल्क का शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नीट काउंसिलिंग से प्रवेशित छात्रों द्वारा भुगतान न्यूनतम 4 समान किश्तों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में

सम्बन्धित कालेज को किया जायेगा। सम्बन्धित मेडिकल कालेज द्वारा उक्त फीस वृद्धि के फलस्वरूप बकाया धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध मे कोई भी विलम्ब शुल्क/ब्याज सम्बन्धित छात्रों से नहीं लिया जायेगा।

6- इस संबंध में पूर्व निर्गत विज्ञप्ति संख्या- I/1012779/2025/71-4005(002)/7/2025, दिनांक 02.07.2025 को निरस्त समझा जाय।

<u>संलग्नक - 1 व 2</u>

आज्ञा से
07/07/2025
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव।

<u>संलग्नक-1</u>

<u>एम0बी0बी0एस पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु निधारित शुल्क</u>

क्र0	कालेज का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रूपये में)
3	स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा (शारदा विश्वविद्यालय)	15,23,183.00